न्यायालय – जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय, बाढ
सत्रवाद संख्या – 134/2000

राज्य बनाम् रणजीत पासवान
(मोकामा थाना कांड संख्या 16/1999)
अर्न्तगत धारा 307, 324 भा द वि एवं 27 शस्त्र अधिनियम

आदेश

17.06.2026 एक मात्र अभियुक्त रणजीत पासवान को धारा 307, 324 भा द वि एवं 27 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध हेतू आरोपित किया गया हैं।

सूचिका दुलारी देवी के लिखीत फर्दबयान के आधार पर अभियोजन कथानक संक्षेप मे यह है कि दिनांक 02.02.1999 को रात के करीब 09:00 बजे सुचिका अपने घर पर पिताजी अर्जुन राम, चाचा गीता राम, विद्या सागर राम, बहनोई राज कुमार राम के साथ आग ताप रहा था कि उसी समय रंजीत पासवान, देवेन्द्र पासवान आये और गाली गलौज करते हुए कहने लगा कि 2–3 दिन पहले मोकामा थाना मे जो आग लगने को लेकर केस किया हैं, उसे उठा लो नहीं तो जान मार देंगे। तब सूचिका अगल बगल के लोगो को बुलाने के लिए हल्ला करने लगी, तो इसी बीच पिस्तौल से रंजीत पासवान ने इनके बांए जांध मे गोली मार कर जख्मी कर दिया तथ देवेन्द्र पासवान ने पिस्तौल से इनकी छोटी बहन कंचन देवी को घर मे घुंसकर गोली मारकर दहिना जांध को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। कंचन देवी जो अभी बेहोश हैं उनका ईलाज नाजरथ अस्पताल मे चल रहा है। पहले भी रंजीत पासवान सूचिका के चचेरा भाई बब्लु कुमार को मारपीट कर अपहरण करने का असफल प्रयास किया था।

घटना के सम्बंध में सूचिका के फर्दबयान के आधार पर रंजीत पासवान और देवेन्द्र पासवान के विरुद्ध धारा 307, 324 भा द वि एवं 27 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत मोकामा थाना कांड संख्या 16/1999, दिनांक 03.02.1999 दर्ज किया गया। सम्यक अनुसंधान के उपरांत अनुसंधानकर्ता के द्वारा दिनांक 30.08.1999 को अभियुक्त रंजीत पासवान और देवेन्द्र पासवान के विरुद्ध धारा 307, 324 भा द वि एवं 27 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत आरोप पत्र संख्या 154/1999, दिनांक 30.08.1999 समर्पित किया गया, जिसके आलोक में तत्कालीन अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बाढ़ द्वारा आरोप पत्र की धाराओं 307, 324 भा द वि एवं 27 शस्त्र अधिनियम के अर्न्तगत नामित अभियुक्त रंजीत पासवान और देवेन्द्र पासवान के विरुद्ध संज्ञान लिया गया तथा अभियुक्तो को पुलिस प्रपत्र दिया गया। चुंकि धारा 307 भा द वि एवं 27 शस्त्र अधिनियम सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं अतः दिनांक 21.12.1999 को न्यायालय द्वारा उपरोक्त अभियुक्तगण का वाद दौरा सूपूर्द किया गया जो विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पटना से वाद विचारण हेतू इस न्यायालय में दिनांक 05.10.2023 को हस्तांतरित होकर प्राप्त हुआ।

सत्र न्यायालय में अभियुक्तगण की उपस्थिति पूर्ण होने पर रंजीत पासवान और देवेन्द्र पासवान के विरुद्ध दिनांक 23.09.2013 को धारा 307, 324 भा द वि एवं 27 शस्त्र अधिनियम के

न्यायालय – जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय, बाढ
सत्रवाद संख्या – 134/2000

लगातार
17.06.2026

अंतर्गत आरोप का गठन कर उसे हिन्दी में पढ़कर सुनाया वह समझाया गया, जिससे अभियुक्तों ने इंकार किया तथा वाद विचारण का दावा किया।

सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट हैं कि इस केस की सूचिका दुलारी देवी के लिखीत फर्दबयान के आधार पर प्राथमिकी के नामजद अभियुक्तगण रंजीत पासवान और देवेन्द्र पासवान के विरुद्ध धारा 307, 324 भा द वि एवं 27 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत मोकामा थाना कांड संख्या 16/1999, दिनांक 03.02.1999 दर्ज किया गया। अनुसंधान उपरांत अनुसंधानकर्ता के द्वारा दिनांक 30.08.1999 को अभियुक्त रंजीत पासवान और देवेन्द्र पासवान के विरुद्ध धारा 307, 324 भा द वि एवं 27 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत आरोप पत्र संख्या 154/1999, दिनांक 30.08.1999 समर्पित किया गया। तत्पश्चात् विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत वाद में आरोप का संज्ञान उक्त नामित दो अभियुक्तगण रंजीत पासवान और देवेन्द्र पासवान के विरूद्ध लिया गया। तत्पश्चात् अभियुक्तगण का वाद दिनांक 21.12.1999 के आदेश से दौरा सुपुर्द किया गया तथा अभिलेख दौरा सूपूर्द के पश्चात् इस न्यायालय को विचारण हेतु प्राप्त हुआ। विचारण के क्रम दिनांक 01.06.2026 के आदेश फलक के अवलोकन से विदित होता हैं कि इस वाद के एक अभियुकत देवेन्द्र पासवान की मृत्यु दिनांक 12.10.2018 को हो चुकि हैं, अतः उक्त आदेश के आलोक में अभियुक्त देवेन्द्र पासवान का विचारण इस वाद से समाप्त किया जाता है।

पुनः विचारण के क्रम में यह पाया गया कि इस वाद में एक मात्र अभियोजन साक्षी विद्या सागर राम का साक्ष्य कराया गया हैं, जिसने अपने अभियोजन कथनाक के संदर्भ में यह अभिकथन किया हैं कि इन्हें घटना के बारे मे कोई जानकारी नहीं हैं, अभियोजन के कथन का समर्थन नही करने के कारण अभियोजन द्वारा इन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया है। कार्यालय द्वारा दिनांक 25.02.2021 को शेष साक्षियों के विरूद्ध जमानतीय अधिपत्र जारी किया गया परंतु कोई भी साक्षी साक्ष्य हेतु न्यायालय मे उपस्थित नहीं हुए। पुनः कार्यालय द्वारा दिनांक 14.07.2025 को सूचिका के विरूद्ध अजमानतीय अधिपत्र जारी किया गया, जिसका तामिला प्रतिवेदन दिनांक 08.09.2025 को न्यायालय को प्राप्त कराया गया। पुन दिनांक 21.12.2025 को अभियोजन को साक्ष्य लाने हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया गया परंतु अभियोजन की ओर से कोई भी अभियोजन साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। लोक अभियोजन द्वारा न तो सूचक और न ही अन्य किसी स्वतंत्र साक्षियों की गवाही विचारण के क्रम मे कराया गया। अभिलेख काफी पुराना हैं तथा वर्ष 2000 से साक्ष्य हेतु लंबित चला आ रहा है। लोक अभियोजन का कथन हैं कि वो गवाही प्रस्तुत करने मे असमर्थ हैं तथा लोक अभियोजन के अनुरोध पर अभियोजन साक्ष्य दिनांक 24.03.2026 को बंद किया गया।

न्यायालय – जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय, बाढ
सत्रवाद संख्या – 134/2000

लगातार
17.06.2026

इस प्रकार एक मात्र अभियुक्त रंजीत पासवान के विरुद्ध लगाये गये आरोप अर्न्तगत धारा 307, 324 भा द वि एवं 27 शस्त्र अधिनियम को साबित करने हेतु किसी भी प्रकार का मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेखगत नहीं कराया गया हैं। अतः साक्ष्य के आभाव में उपरोक्त नामित अभियुक्त रंजीत पासवान को उसके विरुद्ध लगाये गये आरोप धारा 307, 324 भा द वि एवं 27 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त करते हुए रिहा किया जाता है तथा उनके जमानतदारों को उनके बंधपत्र के दायित्वों से उन्मुक्त किया जाता है।

कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि अभिलेख की सारी प्रकियाऐं पूर्ण होने के उपरान्त अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में भेंजे।

निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में पारित किया गया।

(विवेक भारद्वाज)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय,
बाढ़, पटना
दिनांक– 17/06/2026